बहादुर सिंह / रामकुमार आदि प्र०की ३७/२०१५

10.9.2025

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। केस जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आदि व वादी भूमिधरी के रालीनामा के आधार पर वाद की डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया जाये। पत्रावली नियम के अनुसार वाद तरफैन तजवीज जाकर दाखिल दफ्तर हो।

G.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.09.24 16:18:45 IST
Reason: SelfAttested